

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़



(पूर्व नाम- छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)

जी. ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

(छ.ग. अधिनियम क्र. 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स: 0771 2263234

ई-मेल: healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक/1014 /D.U.H.S./गोप./2017

रायपुर, दिनांक 30/11/2017

//अधिसूचना//

केन्द्र अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को समिति ने विचार किया। पूर्ण विचारोपरांत समिति ने निर्णय लिया कि यह प्रकरण रेगुलेशन 10 के बिन्दु क्रमांक 02 की श्रेणी में दंड योग्य है। इन्हें "Not allowed to appear for the entire examination of that year (Cancellation of Examination)." निम्नलिखित छात्रों की वर्तमान परीक्षा को निरस्त कर आगामी एक परीक्षा से वंचित किया जाता है।

अनुक्रमांक	परीक्षा का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	महाविद्यालय का नाम	परीक्षा केन्द्र का नाम
144717	पो.बे.बी.एस.सी.नर्सिंग द्वितीय वर्ष जून-2017 (Int. Nsg Edu.)	रेखांजली मोहंती	रस्तोगी कालेज ऑफ नर्सिंग, भिलाई	शास.नर्सिंग महाविद्यालय, दुर्ग
16511618	बी.एस.सी.नर्सिंग प्रथम वर्ष जून-2017 (Nut. & Bioch)	पूर्णमा साहा	मारूति इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, बालोद	छत्तीसगढ़ डेंटल कालेज, राजनांदगांव
16511619		पुष्पलता साहू		
16511625		तुमेश्वरी केराम		
1511346	बी.डी.एस.प्रथम वर्ष सितं.-2017 (Human Anatomy)	कीर्ति कुमार एच.येने	मैत्री कालेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर, अंजोरा, दुर्ग	भारती आयुर्वेद महाविद्यालय, दुर्ग

आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ. क्रमांक 1671 /D.U.H.S./गोप./2017

रायपुर, दिनांक 30/11/2017

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर (छ.ग.) ।
2. कुलपति महोदय के निज सहायक पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय को सूचनार्थ ।
4. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. संबंधित छात्रों को सूचनार्थ ।
6. परीक्षा विभाग/आई.टी.शाखा पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. उक्त परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट [Website: www.cghealthuniv.com](http://www.cghealthuniv.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है ।


कुलसचिव

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(पूर्व नाम- छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)

जी. ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

(छ.ग. अधिनियम क्र. 21 / 2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष / फ़ैक्स: 0771 2263234

ई-मेल: healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक/ 1014 / D.U.H.S./गोप./2017

रायपुर, दिनांक 30 / 11 / 2017

//अधिसूचना//

केन्द्र अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को समिति ने विचार किया। पूर्ण विचारोपरांत समिति ने निर्णय लिया कि यह प्रकरण रेगुलेशन 10 के बिन्दु क्रमांक 03 की श्रेणी में दंड योग्य है। इन्हें "Not allowed to appear for the entire examination of that year (Cancellation of Examination)." निम्नलिखित छात्रों की वर्तमान परीक्षा को निरस्त कर आगामी एक परीक्षा से वंचित किया जाता है।

अनुक्रमांक	परीक्षा का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	महाविद्यालय का नाम	परीक्षा केन्द्र का नाम
140730	बी.डी.एस.चतुर्थ वर्ष सितं.-2017 (Comm. Dentistry)	फरहीन	त्रिवेणी उंटल कालेज, बिलासपुर	शास.आयुर्वेद महाविद्यालय, बिलासपुर
1511384	बी.डी.एस.प्रथम वर्ष सितं.-2017 (Human Anatomy)	सत्यसिद्धा मिश्रा	मैत्री कालेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर, अंजोरा, दुर्ग	भारती आयुर्वेद महाविद्यालय, दुर्ग
1511414	बी.डी.एस.प्रथम वर्ष सितं.-2017 (Human Anatomy)	रुद्रनारायण मिश्रा		

आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ. क्रमांक/ 1624 D.U.H.S./गोप./2017

रायपुर, दिनांक 30 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर (छ.ग.) ।
2. कुलपति महोदय के निज सहायक पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय को सूचनार्थ ।
4. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. संबंधित छात्रों को सूचनार्थ ।
6. परीक्षा विभाग/आई.टी.शाखा पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. उक्त परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट [Website: www.cghealthuniv.com](http://www.cghealthuniv.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है ।


कुलसचिव

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(पूर्व नाम- छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)

जी. ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

(छ.ग. अधिनियम क्र. 21 / 2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष / फ़ैक्स: 0771 2263234
ई-मेल: healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक/ 1014 / D.U.H.S./गोप./2017


रायपुर, दिनांक 30 / 11 / 2017

//अधिसूचना//

केन्द्र अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को समिति ने विचार किया। पूर्ण विचारोपरांत समिति ने निर्णय लिया कि यह प्रकरण रेगुलेशन 10 के बिन्दु क्रमांक 04 की श्रेणी में दंड योग्य है। इन्हें "The cancellation of Examination and the examinee be debarred from appearing at the next full examination ." निम्नलिखित छात्रों की वर्तमान परीक्षा को निरस्त कर आगामी दो परीक्षाओं से वंचित किया जाता है।

अनुक्रमांक	परीक्षा का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	महाविद्यालय का नाम	परीक्षा केन्द्र का नाम
266	एम.बी.बी.एस.अंतिम	अरूनेश झा	पं.जे.एन.एम.मेडिकल	पं.जे.एन.एम.
8034	भाग-दो सितं.-2017 (Medicine-II)	हेमंत दास कोसरिया	कालेज, रायपुर	मेडिकल कालेज, रायपुर

आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ. क्रमांक/ 1673 D.U.H.S./गोप./2017

रायपुर, दिनांक 30 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :
प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर (छ.ग.) ।
2. कुलपति महोदय के निज सहायक पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय को सूचनार्थ ।
4. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. संबंधित छात्रों को सूचनार्थ ।
6. परीक्षा विभाग/आई.टी.शाखा पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. उक्त परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट [Website: www.cghealthuniv.com](http://www.cghealthuniv.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है ।


कुलसचिव

